[illegible]
[illegible]
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]
अतारांकित प्रश्न [illegible]: 5557
26 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible] उत्तर

[illegible]

5557. श्री [illegible]
श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने मलेरिया, डायरिया आदि जैसे जल और वेक्टर जनित रोगों के संबंध म स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों म इस मिशन के कवरेज के बाद इन रोगों के मामलों म कितने प्रतिशत कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य चेतना के मद्देनजर देश से इन रोगों को पोलियो को तज पर जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए ह अथवा उठाए जा रहे ह?

[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] (श्री [illegible])

(क) से (घ): सरकार ने 2 अक्तूबर, 2019 तक देश के सभी घरों तक शौचालय को सुविधा को पहुँच प्रदान करके व्यापक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को शुरूआत को थी। इस स्कोम का फोकस व्यावहारिक परिवतन व शौचालय का प्रयोग करने पर है। वष 2018 म जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान है कि, वष 2014 व अक्तूबर, 2019 के बीच, स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरूप 3,00,000 से अधिक डायरिया व प्रोटीन-एनर्जा कुपोषण संबंधी मौत टाली जा सकगी।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और किसी महामारी को नियंत्रित करने को प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को होती है। तथापि, भारत सरकार किसी भी बीमारी के प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण व प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को तकनीको व वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य परिचया अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण

हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) व विभिन्न अन्य तृतीयक क्षेत्र स्कोमों के तहत राज्य सरकारों को नियमित वित्तीय व तकनीको सहायता भी प्रदान करती है।

भारत सरकार प्रकोप के कारण वाले महामारी जनित रोगों/संचारी रोगों के कारण रोगों के प्रकोप का पता लगाने और उनके विरूद्ध कारवाई करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म एनएचएम के अंतगत एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) भी कायान्वित कर रही है। ऐसे प्रकोपों को फैलने से बचाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त जनशक्ति देने,चिन्हित त्वरित प्रतिक्रिया कायबल (आरआरटी) के सदस्यों को प्रशिक्षण देने, और महामारी जनित रोगों को रोकथाम हेतु प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया जाता है।

*******